

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) रायपुर (छ.ग.)

Phone No. And Fax No.-0771-2426831

E-Mail- actd.raipur@nic.in

क्र./न.क्र- 64/आदि.वि./आ.ला.पो.मै.छा./2021-22/ 1705
प्रति,

रायपुर दिनांक 02/11/2021

सर्व अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य,
शासकीय/अशासकीय _____ रायपुर, (छ.ग.)
विषय :- वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के आवेदन हेतु।
संदर्भ :- आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, अटलनगर रायपुर का पत्र क्रमांक/आ.ला.पो.मै.छा./123/2021-22/5154 रायपुर दिनांक 29.10.2021


विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तहत अवगत कराया गया है, कि रायपुर जिले में संचालित सनस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजिनियरिंग कालेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कालेज, पालीटेक्निक एवं आई.टी.आई आदि के प्राचार्य/संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2021-22 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही [Http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/](http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/) वेबसाइट पर ऑनलाईन किया जाना है। जिसके अंतर्गत संस्थाओं के प्रस्ताव/स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 में निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-


क्रमांक	प्रक्रिया	अंतिम तिथि
2	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन/नवीनकरण)	दिनांक 01.11.2021 से 30.11.2021 तक
3	Draft Proposal Lock करने हेतु	दिनांक 01.11.2021 से 10.12.2021 तक
5	Sanction Order Lock करने हेतु	दिनांक 01.11.2021 से दिनांक 20.12.2021 तक
6	Disburse शासकीय/अशासकीय	दिनांक 25.12.2021 तक

निर्धारित तिथियों के पश्चात शिक्षा सत्र 2021-22 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन स्वीकृत नहीं किये जावेंगे एवं Draft Proposal, Sanction Order Lock का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।

पृ.क्र./न.क्र-64/आदि.वि./आ.ला.पो.मै.छा./2021-22/ 1706
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, अटलनगर रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
2. स्टोनो टू कलेक्टर, जिला रायपुर की ओर सूचनार्थ।


सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास रायपुर
रायपुर दिनांक 02/11/2021


सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास रायपुर